न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 599–पीबीआर/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–1–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 242/निगरानी/2004–05.

वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह
निवासी ग्राम तामोट
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– विक्रम सिंह पुत्र बंशीलाल
2– धीरज सिंह पुत्र बंशीलाल (मृत) द्वारा वारिसान
(अ) कोमलबाई बेवा धीरज सिंह
(ब) संदीप पुत्र स्व. धीरज सिंह
(स) रानी उर्फ मानसी पुत्री स्व. धीरज सिंह
3– विजय सिंह पुत्र बंशीलाल
निवासीगण ग्राम विशनखेड़ा
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
4– नरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह
5– प्रणवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह
निवासीगण ग्राम तामोट
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन
6– बंशीलाल पुत्र हजारीलाल
7– केदार आत्मज चैन सिंह
8– देवी सिंह आत्मज चैन सिंह
निवासीगण ग्राम विशनखेड़ा
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 लगायत 3
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क. 4 एवं 5
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक क. 6 लगायत 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, गौहरगंज के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 एवं 5 के द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम विशनखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 255 रकबा 6.33 एकड़, सर्वे कमांक 276 रकबा 2.04 एकड़ अनावेदक कमांक 6 बंशीलाल के नाम से, सर्वे कमांक 556/2 रकबा 4.41 एकड़ अनावेदक कमांक 7 केदार एवं सर्वे कमांक 556/2क देवीसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम खिल्लीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 192/2 व सर्वे कमांक 192/1/3/2 रकबा कमशः 1.76 एकड़ व 1.53 एकड़ लक्ष्मीनारायण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । भूमियों पर वे 7–8 वर्षों से निरन्तर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, इसलिए संहिता की धारा 168, 169 के अंतर्गत उन्हें मौरूसी हक प्राप्त हो गये हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ–6/1999–2000 दर्ज कर दिनांक 2–12–2000 को आदेश पारित करते हुए ग्राम विशनखेड़ा की भूमि सर्वे कमांक 556/3 रकबा 4.41 एकड़ व सर्वे कमांक 556/2 रकबा 4.41 एकड़ पर नरेन्द्र सिंह का नाम एवं सर्वे कमांक 255 में से 5.33 एकड़ तथा सर्वे कमांक 276/1 रकबा 2.04 एकड़ भूमि पर वीरेन्द्र सिंह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । इसी प्रकार खिल्लीखेड़ा की भूमि पर अनावेदक कमांक 5 प्रणवीर सिंह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी पैतृक भूमियां है, और उनके पिता बंशीलाल से उनके बिना पूछे श्याम सिंह द्वारा कागज पर हस्ताक्षर कराकर प्रश्नाधीन भूमियों पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, अतः उनके नाम कम किये जाकर उनके का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश में गंभीर अनियमितता पाते हुए प्रतिवेदन अपर कलेक्टर,

रायसेन को प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 20–6–2005 को आदेश पारित कर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही निरस्त की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–1–2010 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता की ध्धारा 190 सहपठित धारा 168 व 169 का परीक्षण करते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 2–12–2000 को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है । यह भी कहा गया कि लक्ष्मीनारायण द्वारा 14 वर्ष के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि अवधि बाह्य होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई है । यह भी कहा गया कि लगभग 16 वर्ष पश्चात व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर केदार व देवीसिंह पक्षकार बनना चाहते हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पक्षकार बना लिया गया है, जबकि उनके द्वारा अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि उनके पिता प्रश्नाधीन भूमियों को खुर्द–बुर्द कर रहे थे, तब उन्हें व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि केदार एवं देवी सिंह को अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बना लिया गया है, इसलिए निगरानी मेमों का पैराग्राह 3 विलोपित होकर पढ़ा नहीं जाना चाहिए ।

4/ अनावेदक कमांक 6 लगायत 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा किस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विकय पत्र, दान पत्र अथवा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां भूमिस्वामी द्वारा उसे दी गई हैं । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों आवेदक को अधबटाई पर दी गई थी, और उसके द्वारा बाला–बाला नामांतरण करा लिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा यह नहीं बतलाया जा सका है कि वे प्रश्नाधीन भूमियों पर किस प्रकार भूमिस्वामी हुए हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने हेतु ठोस आधार प्रकरण में उपलब्ध है, विशेषकर अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 74/ए/13–14 में पारित आदेश दिनांक 8–6–2015 के प्रकाश में । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि संहिता की धारा 190 सहपठित धारा 168 व 169 का परीक्षण करते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर